श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2018 को डुमरांव अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों के विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

==

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डुमरांव प्रखण्ड के सभागार में डुमरांव अनुमण्डल अन्तर्गत सभी विकास मित्रों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर, अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरांव अंचल अधिकारी, डुमरांव एवं डुमरांव अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों के विकास मित्र उपस्थित थे। बैठक में निम्नवत् समीक्षा किये गये आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव के द्वारा सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि महादलित टोले के सभी परिवारों को सरकार की योजनाओं से आच्छादित करें तथा जो अशिक्षित परिवार है, उनके घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। जिन पेंशनधारियों का त्रुटि के कारण पेंशन नहीं मिल रहा है, उनसे आवश्यक कागजात प्राप्त कर प्रखण्ड के माध्यम से त्रुटि निराकरण करायें ताकि उन्हें पेंशन भुगतान हो सके। 02 अक्टूबर 2018 को बक्सर जिला को खुले में शौच मुक्त किया जाना है। सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि महादलित टोले के सभी घरों में 02 अगस्त तक शौचालय का निर्माण पूर्ण करायें। साथ ही वासरहित योग्य परिवारों की सूची तैयार कर अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे ताकि उन्हें वास योग्य भूमि का आवंटन किया जा सके। सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि महादलित टोले के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति, पोशाक एवं पुस्तक मद की राशि की प्राप्ति की जांच करेंगे कि उनके खाते में संबंधित राशि पहुँची अथवा नहीं। यदि किसी छात्र/छात्रा के खाते में उक्त राशि नहीं पहुँची हो तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को अवगत करायेंगे ताकि राशि स्थानांतरण हो सके। सभी विकास मित्रों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया ताकि सरकार के द्वारा उनके नियोजन के उद्देश्य पूरा हो सके।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकास मित्रों के साथ सरकार की कल्याणकारी एवं अन्य योजनाओं के बारे में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(i) पेंशन भुगतान की समीक्षा की गई। केसठ में 40, चक्की में 46, नावानगर में 189, सिमरी में 700, डुमरांव में 450 पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान त्रुटि के कारण लम्बित बताया गया। पेंशनधारियों के पेंशन के त्रुटियों के निराकरण हेतु कई बार कैम्प का आयोजन हो चुका है, परन्तु इसका पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है। इस क्रम में सभी विकास मित्रों को अवगत कराया गया कि एक अंतिम कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूचना शीघ्र मिलेगी। सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि उनके प्रखण्ड/पंचायत के त्रुटि के कारण पेंशनविहीन लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कागजात प्राप्त कर उसे कैम्प में त्रुटि निराकरण करायेंगे तथा यदि पुनः कोई त्रुटि होता है तो संबंधित विकास मित्र एवं कम्प्यूटर

आपरेटर पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेशित किया जाता है कि पेंशन के त्रुटि सुधार हेतु शीघ्र कैम्प का आयोजन करें तथा इस कैम्प का व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

(ii) विकास मित्रों के नियोजन की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि डुमरांव अनुमण्डल के किसी पंचायत में विकास मित्र का नियोजन का मामला लम्बित नहीं है।

(iii) सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण की समीक्षा की गई। डुमरांव अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल 28 सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण की योजना ली गई, जिसके विरूद्ध 27 में कार्य पूर्ण है तथा नावानगर के मड़िया पंचायत के इटौन्हा ग्राम में सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण प्रगति पर है एवं डोर लेबल तक कार्य हो चुका है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि नियमित तौर पर समीक्षा कर उक्त सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण कार्य पूर्ण करायें।

(iv) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत शौचालय विहीन परिवारों का शौचालय निर्माण की समीक्षा की गई। डुमरांव अनुमण्डल अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शौचालय विहीन परिवारों की प्रखण्डवार संख्या निम्नवत् है –

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शौचालय विहीन परिवारों की प्रखण्डवार संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	डुमरांव	4140	
2	नावानगर	1981	
3	सिमरी	2857	
4	ब्रह्मपुर	3997	
5	केसठ	487	
6	चक्की	70	
7	चौगाई	921	

पंचायतवार विकास मित्रों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण की पंचायतवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विकास मित्रों के द्वारा उनके पंचायत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण के संदर्भ में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। कई विकास मित्रों को यह जानकारी नहीं है कि उनके पंचायत में जो शौचालय विहीन परिवार है, वे शौचालय बनाने में सक्षम है अथवा नहीं। साथ ही उनके यहाँ इस हेतु भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई। सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सभी शौचालय विहीन परिवारों के घरों में 19.07.2018 से 02.08.2018 तक गड्ढ़ा खोदवाते हुए उनके माध्यम से उनका शौचालय निर्माण करायें। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीविका से जोड़ते हुए उन्हें ऋृण राशि दिलाने का निदेश दिया गया।

साथ ही निदेशित किया गया कि पंचायत अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चिन्हित कर उसकी सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु सरकारी भूमि चयनित कर उसकी सूची संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को भेजेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव इस कार्य का अनुश्रवण करें।

सभी विकास मित्रों को निदेशित किया गया कि निदेशित तिथि तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सभी शौचालय विहीन परिवारों के घरों में गड्ढ़ा खोदवायेंगे तथा इसकी प्रगति के आधार उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रति सप्ताह प्रगति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि समीक्षा के फलाफल से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

R-k 15/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-2254 गो0 दिनांक 15/07/2018

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरांव/नावानगर/सिमरी/ब्रह्मपुर/केसठ/चक्की/ चौगाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि बैठक की कार्यवाही की प्रति अपने प्रखण्ड के सभी विकास मित्रों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, डुमरांव/नावानगर/सिमरी/ब्रह्मपुर/केसठ/चक्की चौगाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव/ जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R-k 15/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।